आईपी

वीआईपी

ईएसआईसी-2.0
चिंता से मुक्ति

लाखों लोगों को सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के हितलाभ

क.रा.बी. निगम
एक झलक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

दिनांक 22.09.15 को माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए

दिनांक 26.10.15 को हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर में 03 क. रा. बी. अस्पतालों और सेलाकुई, देहरादून में क. रा. बी निगम शाखा कार्यालय एवं क. रा. बी. डिस्पेंसरी का भूमि पूजन

भारत की कर्मचारी राज्य बीमा योजना

एक परिचय

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सन्निहित सामाजिक बीमा के लिए उठाया गया एक एकीकृत कदम है।

यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में वर्णित बीमारी, मातृत्व, अपंगता और रोजगार के दौरान मृत्यु तथा बीमित व्यक्ति एवं उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल के रूप में 'कामगारों' की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क.रा.बी. योजना कारखानों तथा अन्य स्थापनाओं जैसे सड़क परिवहन, होटलों, रेस्त्रां, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकान तथा शिक्षा / चिकित्सा संस्थाओं जहां 10 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू होती है। हालांकि, कुछ राज्यों में स्थापनाओं की व्याप्ति की उच्चतम सीमा अभी भी 20 है। पूर्वोक्त श्रेणियों वाले कारखानों और संस्थाओं में ₹15,000/- प्रति माह का पारिश्रमिक लेने वाले कामगार क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने के पात्र हैं। क.रा.बी. निगम ने 01 अगस्त, 2015 से क.रा.बी. योजना के अंतर्गत कार्यान्वित क्षेत्रों में स्थित निर्माण स्थलों पर काम कर रहे कामगारों के लिए भी इन हितलाभों को पहुंचाने का निर्णय लिया है।

क.रा.बी. योजना नियोक्ताओं और कामगारों के अंशदान द्वारा वित्त पोषित होती है। नियोक्ता के अंशदान की दर कामगारों को देय पारिश्रमिक का 4.75% है। कामगारों का अंशदान उन्हें मिलने वाले कुल पारिश्रमिक का 1.75% है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारियों के अंशदान भुगतान की छुट की सीमा को बढ़ाकर ₹137/- प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। पूर्व में यह सीमा ₹100 /- प्रतिदिन थी।

व्याप्ति तथा अवसंरचना

सन् 1952 में दिल्ली और कानपुर में स्थित अपने मात्र 02 केंद्रों के केवल 25,000 बीमित व्यक्तियों से आरम्भ करके निगम ने अब तक एक लम्बी दूरी तय की है। आज, क.रा.बी. योजना 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 830 केंद्रों में लागू है। क.रा.बी. योजना आज 7.23 लाख कारखानों के 2.03 करोड़ बीमाकृत व्यक्तिओं और उनके परिवारों को हितलाभ प्रदान कर रही है। आज क.रा.बी. योजना के कुल लाभार्थियों की जनसंख्या 7.89 करोड़ है। देशभर में अपने 1459/188 औषधालयों/भारतीय चिकित्सा पद्धति इकाइयों और 151 अस्पतालों द्वारा क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नकदरहित चिकित्सा सुविधाएं प्रतिष्ठित निजी के साथ–साथ अन्य सरकारी अस्पतालों के साथ की गई टाइ–अप व्यवस्था के जरिए भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। निगम ने मुम्बई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में पांच व्यावसायिक जनित रोग केंद्र भी स्थापित किए हैं। ये केंद्र जोखिम वाले उद्योगों में नियोजित कामगारों को होने वाले व्यवसाय जन्य रोगों की समय पर जांच और उपचार सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

नकद हितलाभ के भुगतान के लिए निगम 627/185 शाखा कार्यालयों/भुगतान कार्यालयों के नेटवर्क से काम लेता है। ये कार्यालय 61 क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय और प्रभागीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं।

क.रा.बी. निगम–भारतीय कामगारों के लिए एक सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

क.रा.बी. योजना के अधीन किए जाने वाले प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान बीमाकृत व्यक्ति को उसकी बचतों अथवा आमदनी पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना मदद करते हैं। क.रा.बी. निगम उनकी आपात चिकित्सा और

अन्य आकस्मिकताओं के दौरान देखभाल करती है। क.रा.बी योजना द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हितलाभ हैं :

1. (क) **बीमारी हितलाभ का भुगतान बीमाकृत** व्यक्ति को दो लगातार हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से किया जाता है।

   (ख) **वर्धित बीमारी हितलाभ** (पुरुष नसबंदी/महिला नसबंदी हेतु) महिला नसबंदी हेतु 14 दिनों तथा पुरुष नसबंदी हेतु 7 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत भुगतान जो कि विस्तारणीय है।

   (ग) **विस्तारित बीमारी हितलाभ** दो वर्षों की अवधि के दौरान 124 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 80 प्रतिशत की दर पर देय है, जो कि चिकित्सा परामर्श पर दो वर्ष तक विस्तार योग्य है।

2. **अपंगता हितलाभ** के अधीन, बीमाकृत व्यक्ति जब रोजगार चोट के कारण अपंग हो जाता है, तब अस्थायी अपंगता रहने तक उसे औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है। स्थायी अथवा पूर्ण अपंगता होने पर, संपूर्ण जीवन के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत का भुगतान किया जाता है और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमाकृत व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के समानुपातिक भुगतान किया जाता है।

3. यदि बीमाकृत व्यक्ति की रोजगार चोट के कारण मृत्यु हो जाती है तो औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से **आश्रितजन हितलाभ** का भुगतान किया जाता है जो कि उसके सभी आश्रितों के बीच नियत अनुपात में साझा करने योग्य होता है। इसका भुगतान विधवा को

जीवनपर्यन्त अथवा जब तक वह पुनः विवाह नहीं करती है, आश्रित बच्चों को 25 वर्ष की आयु होने तक तथा आश्रित माता–पिता को भी शर्ताधीन किया जाता है।

लाभार्थियों तक पहुंच कायम करने और व्यवस्था को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने हेतु दीर्घावधि हितलाभ जैसे कि स्थायी अपंगता और आश्रितजन हितलाभों को ईसीएस प्रणाली के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कराया जा रहा है।

4. **मातृत्व हितलाभ** का भुगतान प्रसूति के मामले में 12 सप्ताह तक, गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक औसत दैनिक मजदूरी के 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है। गर्भधारण, प्रसूति और गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा परामर्श पर इसे एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

   वर्ष 2014–15 के दौरान नकद हितलाभ भुगतान पर कुल ₹681.97 करोड़ व्यय किए गए हैं। इससे कोई भी व्यक्ति क.रा.बी.नि. द्वारा अपने बीमाकृत व्यक्तियों को संकट के समय प्रदान की गई बड़ी सहायता का अंदाजा लगा सकता है, अन्यथा इससे देश के कम आय वर्ग में आने वाले कार्यबल पर अतिरिक्त बोझ पड़ा होता।

5. क.रा.बी. योजना द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक सबसे बड़ा हितलाभ **'चिकित्सा हितलाभ'** है जो कि बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के प्रथम दिन से स्वयं और परिवार के लिए 'तर्कसंगत चिकित्सा देखभाल' (प्राथमिक बाह्य रोगी विभाग सेवाओं, द्वितीयक सेवाओं से लेकर अति विशिष्टता सेवाओं तक) उपलब्ध करवाता है, जो कि तब तक जारी रहते हैं जब तक बीमायोग्य रोजगार में बीमाकृत व्यक्ति बना रहता है। उपचार एलोपैथी और आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपलब्ध

करवाया जाता है। क.रा.बी. निगम औषधालय और अस्पताल आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवा रहे हैं। अति विशिष्टता उपचार कुछ क.रा.बी. निगम अस्पतालों अथवा क.रा.बी. निगम – स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध अंतरंग अति विशिष्टता सेवाओं अथवा देश भर के 1000 से अधिक संबद्ध अस्पतालों के माध्यम से रेफरल आधार पर बड़ी संख्या में उन्नत चिकित्सा संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। ऐसे मामलों में क.रा.बी. निगम रोगी अथवा उसके परिवार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाले बिना अस्पतालों को सीधे भुगतान करता है।

6. **वृद्धावस्था चिकित्सा देख रेख** – यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्ष तक बीमाकृत व्यक्ति रहने के बाद अधिवर्षिता की आयु पूरा होने पर या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त होता है या वह समय पूर्व सेवानिवृत्ति लेकर बीमायोग्य रोजगार छोड़ता है, तो एक वर्ष के लिए ₹120/- (एक सौ बीस रुपए मात्र) के आंशिक अंशदान भुगतान और आवश्यक प्रमाण दिखाकर वह स्वयं तथा अपने/अपनी विवाहिता के लिए चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता है। यदि, बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका/उसकी विवाहिती अंशदान अदा किए जा चुकी शेष अवधि तक चिकित्सा हितलाभ प्राप्त कर सकता/सकती है और आगे की अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹120/- (एक सौ बीस रुपए मात्र) के अंशदान का भुगतान कर चिकित्सा हितलाभ को जारी रख सकता/सकती है।

वह बीमाकृत व्यक्ति जो रोजगार चोट से हुई स्थायी अपंगता के कारण रोजगार में नहीं रह पाता है, उसे भी यह चिकित्सा हितलाभ स्वीकार्य है। वह उस तिथि तक के लिए समान अंशदान का भुगतान करके स्वयं तथा अपने/अपनी विवाहिता के लिए यह हितलाभ प्राप्त कर

सकता / सकती है, जिस तिथि तक वह इस प्रकार की स्थायी अपंगता न होने पर अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर रोजगार को रिक्त करता / करती हैं।

7. अन्य हितलाभों में बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति के मामले में उसकी पत्नी का प्रसव व्यय शामिल है। यदि प्रसव ऐसे स्थान पर होता है, जहां क.रा.बी. योजनाओं के अधीन आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं, तो वहां दो अवसरों तक के लिए ₹5,000/- का भुगतान किया जाता है।

8. बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में **अंत्येष्टि व्यय** के रूप में ₹10,000/- का भुगतान किया जाता है।

9. रोजगार चोट के कारण शारीरिक विकलांगता के मामले में **व्यावसायिक प्रशिक्षण,** जिसके लिए प्रभारित वास्तविक शुल्क अथवा ₹123/- प्रति दिन, जो भी अधिक हो, का व्यावसायिक प्रशिक्षण समाप्त होने तक भुगतान किया जाता है।

10. **बेरोजगारी भत्ता** रा.गां.श्र.क. योजना के अंतर्गत फैक्टरी बंद होने, छंटनी अथवा गैर रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता से रोजगार की अस्वैच्छिक हानि और रोजगार जाने से पूर्व तीन वर्ष के लिए अंशदान के मामले में, जीवनकाल में अधिकतम बारह महीनों की अवधि के लिए 50 प्रतिशत औसत दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। रा.गां.श्र.क. योजना के अंतर्गत, रोजगार की अस्वैच्छिक हानि के मामले में, अधिकतम 6 माह की अवधि का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि बीमाकृत व्यक्ति अपने कौशल को बढ़ा सके और अन्य रोजगारों के लिए विकल्प चुन सके।

हितलाभों का संक्षिप्त ब्योरा, अंशदान शर्तें, हितलाभों की अवधि तथा दरें

हितलाभ	अंशदान शर्तें	अवधि	दर
बीमारी हितलाभ			
बीमारी हितलाभ	संगत अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान भुगतान।	लगातार दो हितलाभ अवधियों में 91 दिनों तक	औसत दैनिक मजदूरी का 70 प्रतिशत
वर्धित बीमारी हितलाभ	–वही–	महिला नसबंदी के लिए 14 दिन एवं पुरुष नसबंदी के लिए 7 दिन, चिकित्सा परामर्श पर विस्तारणीय	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
विस्तारित बीमारी हितलाभ	34 विनिर्दिष्ट लंबी अवधि वाली बीमारियों के लिए। लगातार चार अंशदान अवधि में न्यूनतम 156 दिनों के अंशदान के साथ दो वर्षों का लगातार बीमायोग्य रोजगार।	दो वर्ष की अवधि के दौरान 124 दिन, चिकित्सा परामर्श पर दो वर्षों तक विस्तार किया जा सकता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 80 प्रतिशत

अपंगता हितलाभ			
अस्थायी अपंगता हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में आने के पहले दिन से रोजगार चोट की वजह से अपंगता हेतु	अस्थायी अपंगता के बने रहने तक	औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत
स्थायी अपंगता हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में आने के पहले दिन से रोजगार चोट की वजह से अपंगता हेतु	आजीवन	स्थायी पूर्ण अपंगता के लिए – औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत। स्थायी आंशिक अपंगता हेतु – चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की हानि के अनुरूप।
आश्रितजन हितलाभ	बीमायोग्य रोजगार में आने के पहले दिन से रोजगार चोट की वजह से मृत्यु होने पर	विधवा के लिए आजीवन या पुनर्विवाह तक, आश्रित बच्चों के लिए 25 वर्ष की आयु तक तथा आश्रित माता–पिता आदि के लिए शर्तानुसार।	औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत जो कि सभी आश्रितजनों के बीच निर्धारित अनुपात में विभक्त किया जाएगा।

मातृत्व हितलाभ	दो पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के अंशदान का भुगतान।	प्रसव के मामले में 12 सप्ताह तक। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक। गर्भावस्था, प्रसव, गर्भपात की वजह से अस्वस्थता की स्थिति में चिकित्सा परामर्श पर 1 माह तक बढ़ाया जा सकता है।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत
चिकित्सा हितलाभ	बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके परिवार के सदस्यों को "चिकित्सा देखरेख की पर्याप्त सुविधाएं" बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से।	बीमायोग्य रोजगार में बने रहने तक उनका संपूर्ण चिकित्सा देखरेख।	
अन्य हितलाभ			
प्रसव व्यय	बीमाकृत महिला अथवा बीमाकृत व्यक्ति की पत्नी को यदि प्रसव ऐसे स्थान पर होता है जहां क.रा.बी. योजना के अंतर्गत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।	केवल दो प्रसव तक।	₹ 5,000/- प्रति मामला
अंत्येष्टि व्यय	बीमायोग्य रोजगार में प्रवेश के पहले दिन से।	किसी बीमाकृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में हुआ व्यय।	वास्तविक व्यय, अधिकतम ₹10,000/- तक

व्यावसायिक प्रशिक्षण	रोजगार चोट की वजह से शारीरिक अपंगता की स्थिति में।	व्यावसायिक प्रशिक्षण के चलने तक।	वास्तविक प्रभारित शुल्क या ₹123/- प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।
शारीरिक पुनर्वास	रोजगार चोट की वजह से शारीरिक अपंगता की स्थिति में।	किसी कृत्रिम अंग केंद्र में व्यक्ति के दाखिल रहने तक।	औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत।
बेरोजगारी भत्ता (रा.गा.श्र.क.यो.)	कारखाने के बंद होने, छंटनी या गैर–रोजगार चोट की वजह से हुई स्थायी शारीरिक अपंगता के कारण रोजगार की अस्वैच्छिक हानि की स्थिति में तथा रोजगार क्षति से पूर्व कम से कम 3 वर्ष का उसके द्वारा अंशदान अदा किया गया है/देय है।	जीवनकाल में अधिकतम 12 माह तक।	औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत।
कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	–वही–	अधिकतम 6 माह की अवधि।	

- **जन शिकायत मोड्यूल 2.0**

  क.रा.बी. निगम ने अपनी वेबसाइट 'www.esic.in' या 'www.esic.nic.in' के माध्यम से ऑनलाइन जन शिकायतों दर्ज कराने के लिए 15 अगस्त, 2015 से स्वतंत्र जन शिकायत मोड्यूल 2.0 का शुभारंभ किया है। बीमित व्यक्ति, नियोक्ता और जन साधारण जनता इस मोड्यूल के माध्यम से कभी भी, कहीं भी अपनी समस्या/शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत करने का तरीका निम्नानुसार है :–

  1. **www.esic.in** या **www.esic.nic.in** पर लॉग ऑन करें
  2. जन शिकायत पर क्लिक करें
  3. अनिवार्य जानकारी भरने के बाद अपनी समस्या/शिकायत का विवरण लिखें
  4. सब्मिट करें
  5. आपको ऑनलाइन शिकायत संख्या मिलेगी
  6. अपनी समस्या/शिकायत की स्थिति इस शिकायत संख्या के माध्यम से जानें

- **जन शिकायत के निपटान के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन**

  क.रा.बी. निगम ने मुख्यालय/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय/शाखा कार्यालय/क.रा.बी. औषद्यालयों/क.रा.बी. अस्पतालों जैसे सभी स्तरों पर जन शिकायत निपटान प्रणाली स्थापित की है। क.रा.बी. योजना के अंतर्गत जन शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए निगम ने कई कदम उठाए हैं। इसके लिए मुख्यालय में एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर **1800–11–2526** शुरू किया गया है। स्थानीय पणधारियों की सुविधाओं के लिए क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय

कार्यालय में नीचे दिए गए नंबर स्थापित किए गए हैं :–

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	टोल फ्री हेल्पलाइन नं.
1.	**असम** क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	1800-345-3627
2.	**बिहार** क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	1800-345-6190
3.	**छत्तीसगढ़** क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	1800-233-5172
4.	**गोवा** क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी	1800-233-0132
5.	**गुजरात** क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	1800-233-0424
6.	**हरियाणा** क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद उप–क्षेत्रीय कार्यालय, गुड़गांव	1800-180-1475 1800-180-2526
7.	**हिमाचल प्रदेश** क्षेत्रीय कार्यालय, बद्दी	1800-180-2862
8.	**जम्मू और कश्मीर** क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	1800-180-7029
9.	**झारखंड** क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	1800-345-6532
10.	**कर्नाटक** क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर उप–क्षेत्रीय कार्यालय, हुबली	1800-425-0636 1800-425-0037

11.	**महाराष्ट्र** क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई उप–क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे उप–क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल	 1800-209-4599 1800-209-4599 1800-220-0097
12.	**मध्यप्रदेश** क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	 1800-233-4414
13.	**उड़ीसा** क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	 1800-345-6712
14.	**पंजाब** उप–क्षेत्रीय कार्यालय, लुधियाना	 1800-180-0026
15.	**पुदुच्चेरी** क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी	 1800-425-7642
16.	**राजस्थान** क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर उप–क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर	 1800-180-6266 1800-180-6224
17.	**तमिलनाडु** क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई उप–क्षेत्रीय कार्यालय, मदुरै उप–क्षेत्रीय कार्यालय, तिरूनेलवेली	 1800-425-7080 1800-425-2527 1800-425-2527
18.	**तेलांगाना** क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	 1800-425-2358
19.	**उत्तराखंड** क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	 1800-180-4161
20.	**उत्तर प्रदेश** क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर उप–क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा	1800-180-5127 1800-180-3181
21.	**पश्चिम बंगाल** क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता उप–क्षेत्रीय कार्यालय, बैरकपुर	1800-345-4454 1800-345-5985

क.रा.बी. योजना के बारे में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कोई भी व्यक्ति या संस्थान क.रा.बी. निगम की वेबसाइट 'www.esic.nic.in', 'www.esic.in' पर लॉग ऑन कर सकते हैं या क.रा.बी. निगम कार्यालय / संस्थान के किसी भी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतें लिखित में टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से टेलीफोन पर, डाक, ई–मेल द्वारा या निम्न अधिकारियों के पास व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं।

शाखा कार्यालय स्तर	:	शाखा प्रबंधक
औषधालय स्तर	:	बीमा चिकित्सा कार्यालय प्रभारी
अस्पताल स्तर	:	चिकित्सा अधीक्षक / उप चिकित्सा अधीक्षक
क्षेत्रीय	:	(1) क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक
उप क्षेत्रीय स्तर	:	(2) लोक शिकायत अधिकारी
राज्य स्तर	:	(1) वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त (2) राज्य चिकित्सा आयुक्त (3) निदेशक, चिकित्सा, क.रा.बी. योजना
निगमित स्तर (मुख्यालय)	:	(1) महानिदेशक (2) चिकित्सा आयुक्त (3) बीमा आयुक्त (4) निदेशक (लोक शिकायत) पता : क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली–110002

पता: क.रा.बी निगम, पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली–110002

वेबसाइट : www.esic.nic.in, www.esic.in
ई–मेल : jd-pghq@esic.in
फोन : 011–23234092 / 93 / 98 फैक्स : 011–23234537
टोल फ्री : 1800 11 2526

- **सुविधा समागम**

  मौखिक, लिखित शिकायतों/सुझावों और समस्याओं से निपटने के लिए सुविधा समागम विभिन्न फील्ड कार्यालयों अर्थात् क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/क.रा.बी. निगम अस्पतालों में हर महीने के दूसरे बुधवार को और क.रा.बी. निगम शाखा कार्यालय में हर महीने के दूसरे शुक्रवार को आयोजित किए जाते हैं।

खुश कामगार, खुशहाल नियोक्ता :

- नियोक्ता अपने कामगारों और उनके परिवारों को वस्तु या नियत नकद भत्ते के रूप में, वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति, एकमुश्त अनुदान या सीमित प्रकृति की या किसी अन्य चिकित्सा बीमा पॉलिसी के रूप में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के सभी दायित्वों से मुक्त है जब तक कि कोई संविदात्मक उत्तरदायित्व न हो।
- नियोक्ताओं को क.रा.बी. योजना के अंतर्गत मातृत्व हितलाभ अधिनियम और कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम लागू करने से भी राहत मिल जाती है।
- नियोक्ता कामगारों के शारीरिक कष्ट जैसे बीमारी, रोजगार चोट या शारीरिक अपंगता के परिणाम स्वरूप मजदूरी की क्षति जैसी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं क्योंकि बीमाकृत व्यक्तियों को नकद हितलाभ का भुगतान किए जाने का उत्तरदायित्व, अब निगम का हो जाता है।
- क.रा.बी. निगम के अंतर्गत अंशदान द्वारा चुकाई गई कोई भी राशि आयकर अधिनियम के अंतर्गत 'आय' में से घटाई जाती है।
- इसके अतिरिक्त श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम सुविधा पोर्टल के साथ एक नई एकीकृत निरीक्षण नीति का शुभारंभ किया गया है जिसमें 13 केन्द्रीय श्रम अधिनियम (क.रा.बी. अधिनियम सहित) शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य व्यावसायिक विनियमों का सरलीकरण तथा श्रम निरीक्षण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।

क.रा.बी. निगम के नए कदम

दूसरे चरण का स्वास्थ्य सुधार एजेंडा : क.रा.बी. निगम–2.0

क.रा.बी. निगम ने 20.07.2015 को स्वास्थ्य सुधार एजेंडा की एक शृंखला का शुभारंभ किया है जिसमें क.रा.बी. लाभार्थियों (बीमाकृत व्यक्ति और उनके

परिवार के सदस्य) के स्वास्थ्य रिकार्ड की ऑनलाइन उपलब्धता, अभियान इंद्रधनुष : सप्ताह में इंद्रधनुषी पद्धति से हर दिन बिस्तर की चादर बदली जाए, आपात स्थिति हेतु तथा क.रा.बी. निगम अस्पतालों के हताहत/आपात विभाग से परामर्श चिकित्सा हेल्पलाइन नं. **1800 11 3839** और वरिष्ठजनों व निशक्तों के लिए क.रा.बी. निगम अस्पतालों में विशेष ओपीडी सेवा शामिल हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है :–

• **क.रा.बी. लाभार्थियों का इलैक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकार्ड :** परियोजना 'पंचदीप' के अंतर्गत क.रा.बी. निगम ने अपने मुख्य कार्यकलापों और इसके रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। क.रा.बी. लाभार्थियों (क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य) का स्वास्थ्य रिकार्ड इलैक्ट्रॉनिक रूप में संरक्षित कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य रिकार्ड अब बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्य ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। लैब रिपोर्ट के साथ पूरा स्वास्थ्य रिकार्ड डिजिटल रूप में पोर्टल पर उपलब्ध होगा और अपेक्षित जानकारी के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।

• **अभियान इंद्रधनुष** : क.रा.बी. अस्पतालों में विबग्योर पैटर्न में चादर बदलना : क.रा.बी. निगम अस्पतालों में स्वच्छता पर जोर देने के लिए बाह्य रोगी विभाग और वार्डों में प्रतिदिन चादरों को बदला जाता है। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए चादर का विशिष्ट रंग नियत किया गया है जो निम्नानुसार इंद्रधनुषी प्रतिरूप पर आधारित है :–

दिन	चादर का रंग
रविवार	बैंगनी
सोमवार	आसमानी
मंगलवार	नीला
बुधवार	हरा
बृहस्पतिवार	पीला
शुक्रवार	नारंगी
शनिवार	लाल

- **सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में 24x7 चिकित्सा हैल्पलाइन नंबर** : क.रा.बी. निगम अस्पतालों की हताहत/आपात विभाग से सलाह तथा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इच्छुक बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के साथ फोन पर बात करने के लिए एक 24x7 चिकित्सा हैल्पलाइन नंबर **1800 11 38–39** स्थापित किया गया है। यह हैल्पलाइन टोल फ्री होगी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगी।

- **क.रा.बी. निगम अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष बाह्य रोगी विभाग** : क.रा.बी. निगम ने अपने अस्पतालों में बाधारहित उपचार हेतु वरिष्ठ नागरिकों तथा निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष बाह्य रोगी विभाग भी शुरू किया है। क.रा.बी. निगम के सभी अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों/निःशक्त रोगियों के लिए प्रतिदिन दोपहर बाद बाह्य रोगी विभाग चला रहे हैं।

क.रा.बी. निगम–2.0 की कुछ अन्य मुख्य कदम निम्नानुसार है :–

क) पूरे देश में सामाजिक सुरक्षा नेट का विस्तार करने हेतु क.रा.बी. योजना की व्याप्ति का विस्तार किया जा रहा है।

(i) क.रा.बी. योजना के सामाजिक सुरक्षा हितलाभों का बचे हुए **उत्तर–पूर्व राज्यों**, जैसे—अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी विस्तार कर दिया गया है। मिजोरम में दिनांक 01.12.2015 से तथा पोर्ट ब्लेयर में दिनांक 01.01.2016 से इसे लागू कर दिया गया है।

(ii) दिसम्बर 2016 तक देश के सभी 681 जिलों में क.रा. बी. योजना लागू करने का लक्ष्य है। वर्तमान में क.रा.बी. योजना जिलों के भीतर औद्योगिक/वाणिज्यिक समूहो में लागू कर दी गई है। पहले राज्यों के **सभी 393 जिलों**, जहाँ ये समूह स्थित है, की व्याप्ति का लक्ष्य था। इसमें से 117 जिलों में पूरी तरह लागू हो गई है।

(iii) चुने हुए शहरी/महानगर क्षेत्रों में **असंगठित कामगारों के चयनित समूह** जैसे रिक्शा चालकों/ऑटो रिक्शा चालकों के लिए स्वास्थ्य योजना का आरंभ प्रायोगिक आधार पर किया है।

(iv) लागू किए गए क्षेत्रों में **निर्माण कामगारों को क.रा.बी. व्याप्ति का**

विस्तार किया गया है। दिनांक 1 अगस्त, 2015 से निर्माण स्थल के कामगारों को भी क.रा.बी. योजना के अंतर्गत हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए व्याप्त किया गया है।

ख) रोगी/परिचर्या देखरेख में सुधार हेतु अन्य पहलें

(i) क.रा.बी. निगम ने अब प्रत्येक राज्य में **दो आदर्श अस्पताल को स्थापित** करने का संकल्प किया है।

(ii) अस्पतालों के विभिन्न स्तरों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर उपयुक्त **कैंसर जाँच/उपचार सुविधाएं, हृदय रोग उपचार सुविधाएं** तथा डायलिसिस सुविधाएं प्रदान करना।

(iii) **टेलीमेडिसिन** की पद्धति को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रायोगिक प्रचालन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध पहले ही शुरू कर दिए गए हैं तथा अगले तीन माह में इस परियोजना के आरंभ होने की संभावना है।

(iv) औषधालयों के उन्नयन हेतु विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। 24 x 7 सुविधाएं प्रदान करने हेतु क.रा.बी. निगम भवनों में स्थित **24 औषधालयों को 30 बिस्तरों वाले सेट–अप में उन्नयन करने** हेतु चिह्नित किया गया है।

(v) सभी औषधालयों में चरणबद्ध पद्धति से सार्वजनिक–निजी–भागीदारी के आधार पर **रोग निदान तथा एक्स–रे सुविधाएं** प्रदान की जाएंगी। दिल्ली के सभी औषधालयों में रोग निदान सेवाएं 30 नवम्बर, 2015 से आरंभ कर दी गई हैं। दिल्ली/नोएडा क्षेत्र के क.रा.बी. औषधालयों में प्रयोगशाला तथा ई.सी.जी. सेवाएं आरंभ कर दी गई हैं।

(vi) **प्रत्येक गर्भवती स्त्री तथा नवजात का ध्यान रखना** : प्रत्येक माँ तथा बीमाकृत व्यक्ति के नवजात शिशु का 100% टीकाकरण के साथ–साथ प्रत्येक गर्भवती स्त्री का सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित देखभाल के लिए उन पर नज़र रखने हेतु दिल्ली में एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की जानी है, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ समन्वय किया जाएगा।

(vii) **आयुष** : क.रा.बी. निगम अस्पताल एलोपैथिक उपचार के अतिरिक्त आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी) के अंतर्गत भी उपचार प्रदान कर रहे हैं। सभी औशधालयों में आयुश की सुविधाओं का चरणबद्ध पद्धति में तथा सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में योग की सुविधा का विस्तार किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, क.रा.बी. निगम ने स्वास्थ्य क्षेत्र में और सुधार आरंभ किया है तथा हाल ही में सुधारों की एक शृंखला आरंभ की है।

(viii) **आई.सी.यू., सी.टी., एम.आर.आई., कैथलैब तथा डायलिसिस सुविधा की स्थापना** : अब क.रा.बी. निगम अस्पताल सार्वजनिक–निजी– भागीदारी मॉडल पर सभी आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित हैं जिससे बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य क.रा.बी. अस्पताल में एक ही स्थान पर सभी प्रकार के विषेशीकृत उपचार तथा देखरेख प्राप्त कर सकें।

(ix) **बहु–क्षेत्र उत्कृष्टता केन्द्र का आरंभ** : क.रा.बी. निगम अस्पताल तथा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, बसईदारापुर उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नयन किया गया है तथा नेत्र विज्ञान, नेफ्रोलॉजी, बाल रोग, हृदय रोग विज्ञान तथा भाल्य चिकित्सा इत्यादि विभागों का इस क्षेत्र के विषेशीकृत विषेशज्ञों की सलाह पर उन्नयन किया गया है।

(x) **परामर्शदाता अस्पताल प्रबंधक तथा परामर्शदाता प्रबंधक की नियुक्ति** : सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों की सहायता हेतु सभी क.रा.बी. निगम अस्पतालों में संविदात्मक आधार पर परामर्शदाता अस्पताल प्रबंधक तथा परामर्शदाता प्रबंधक की नियुक्ति हेतु एक भर्ती अभियान आरंभ किया गया है जिससे क.रा.बी. निगम अस्पतालों की सेवाओं में सुधार होगा।

डिजीटल इंडिया—क.रा.बी. निगम के ई–पहलें :

- **परियोजना 'पंचदीप'** : आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने और कार्यकलापों विशेषकर नियोक्ताओं और बीमाकृत व्यक्तियों को मिलने वाली सेवाओं में कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए क.रा.बी. निगम ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना 'पंचदीप' आरंभ की है।
- **'पंचदीप' के अंतर्गत नियोक्ता पोर्टल** : नियोक्ता पोर्टल क.रा.बी. निगम कार्यालय आए बिना विभिन्न लेन–देनों को ऑनलाइन उपलब्ध कराके समय और रूटीन कागजी कार्रवाई से बचाता है। नियोक्ता और कर्मचारी पंजीकरण ऑनलाइन किए जाते हैं। यह पोर्टल नियोक्ताओं को मासिक अंशदान फाइल करने, अस्थायी पहचान पत्र बनाने, मासिक अंशदान चालान सृजित और ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।

- **ई–बिज़ प्लेटफार्म** : क.रा.बी. निगम व्यापार को सरल बनाने तथा संव्यवहार की लागत पर अंकुश लगाने के लिए अपनी सेवाओं को एकीकृत (औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के ई–बिज़) पोर्टल द्वारा नियोक्ताओं का पंजीकरण) करने वाला केन्द्र सरकार का एक प्रथम संगठन है।
- अपनी फ्लैगशिप डिजीटल परियोजना पंचदीप, के अंतर्गत क.रा.बी. निगम ने भारतीय स्टेट बैंक तथा 01 अप्रैल, 2015 से अन्य 58 बैंकों के भुगतान गेटवे के माध्यम से नियोक्ता द्वारा **क.रा.बी. अंशदान के ऑनलाइन भुगतान को सुलभ** बनाया है।
- क.रा.बी. निगम **संबंधी शिकायतें क.रा.बी. निगम वेबसाइट 'www.esic.in'** या **'www.esic.nic.in'** के माध्यम से दर्ज करने हेतु क.रा.बी. निगम ने 15.08.2015 से एक पृथक लोक शिकायत मॉड्यूल 2.0 आरंभ किया है।
- क.रा.बी. निगम अस्पतालों तथा औशधालयों के लिए दिसम्बर, 2015 में 'www.esichospitals.gov.in' की समर्पित वेबसाइट का आरंभ किया है।
- 1 मई, 2016 से e-पहचान कार्ड सिस्टम का उन्नयन किया गया।

मानव संसाधन विकास :

- चिकित्सा, अनुसचिवीय और तकनीकी संवर्ग (कैडर) में 7467 रिक्त पदों का विज्ञापन जारी।
- शिक्षा संकाय, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, दंत शल्य चिकित्सक और चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के 520 अधिक रिक्त पदों का विज्ञापन शीघ्र प्रकाशन।
- 8 खेलों में 170 रिक्त पदों पर खेल कोटे से नियुक्ति अभियान शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य।
- निम्नलिखित कैडर में पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी :–
  - बीमा आयुक्त / अपर आयुक्त
  - निदेशक / संयुक्त निदेशक
  - उप निदेशक / उप निदेशक (रा.भा.)
  - सहायक निदेशक / सहायक निदेशक (रा.भा.)
  - वैयक्तिक सहायक / सामाजिक सुरक्षा अधिकारी

दिनांक 30.5.15 को विजयवाड़ा में क. रा. बी. निगम उप–क्षेत्रीय कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन

दिनांक 17.8.2015 को कांदीवली, मुंबई में क. रा. बी अस्पताल का उद्घाटन

Published by
Director General
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
Panchdeep Bhavan : C.I.G. Marg, New Delhi-110 002
Website: www.esic.nic.in, www.esic.in, www.esichospitals.gov.in

Complied & Produced by
Public Relation Branch, ESIC

www.facebook.com/esichq @esichq